भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3482
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 / 26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट

†3482. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान आज तक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के लिए दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या कितनी है और उन मामलों की जांच किस चरण में है;

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के डब्लयू.पी.(सी) 16925/2022 में दिए गए निर्देश के अनुसार 12.12.2022 से आज तक कितनी आवधिक जांच की गई हैं; और

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा समय-समय पर की गई जांच के आधार पर कितनी मात्रा में ई-सिगरेट जब्त की गई ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 के तहत पिछले पांच वर्षों (30.11.2024 तक) के दौरान 16 मामले दर्ज किए गए हैं। सभी मामलों में विधि सम्मत कार्यवाही की गयी है एवं 12 मामलों में सक्षम न्यायालयों के समक्ष आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं।

(ख) से (ग): वांछित विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	आवधिक जांच की संख्या	आवधिक जांच के दौरान जब्त की गई सामग्री
12.12.2022 से 31.12.2022	564	शून्य
2023	4524	535 ई-सिगरेट एवं 3 तरल सिगरेट
2024 (30.11.2024 तक)	4212	5600 ई-सिगरेट, 10 बॉक्स, 30 छोटे बॉक्स एवं ई-सिगरेट के 39 पैकेट

******